क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : J008/अनापत्ति/19 दिनांक 26-12-19

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (सं0का0)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड।

विषय: **मैसर्स हिन्दुस्तान प्रट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, खसरा न0–1643छ, ग्राम–बागड़पुर, तहसील–गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड पर रिटेल आउटलेट प्रेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0 (MS/HSD/CNG) की पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टि कोण से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हापुड के पत्र संख्या 16546/न्याय सहायक प्रथम/अनापत्ति/ दिनांक 07.09.2019 के अनुपालन मे इस कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 08.11.2019 को किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल खसरा न0–1643छ, ग्राम–बागड़पुर, तहसील–गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड का इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों के आधार पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त आपत्ति नही हैः–

1. इकाई की स्थापना आवेदन पत्र पर उल्लेखित स्थल पर ही किया जायेगा। डीजल/पेट्रोल (HSD/MS) का भण्डारण भूमिगत स्टील (HSD & MS) क्षमता के टैकों में किया जायेगा। भण्डारित डीजल/पेट्रोल (HSD/MS) का प्रयोग बिक्री हेतु किया जायेगा।
2. भारत सरकार, पैट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सैफ्टी आग्रेनाईजेशन (पैसो) आगरा द्वारा जारी निर्देशो का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियत्रंण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा।
4. घरेलू जल मल के निस्तारण हेतु सैप्टिक टैकं/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जायें।
5. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानो पर त्वरित गति से बड़ने वाले पौधो का रोपण कर हरित पटि्टका विकसित की जायें।
6. दुर्घटना/आकस्मिक आग से निपटने हेतु सुरक्षा के समुचित व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा उसका शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हापुड़ से अनुमति प्राप्त की जायें।
8. स्थल पर वाहनो की सर्विसिंग/वॉशिग का कार्य किया जाना प्रतिबन्धित हैं।
9. भण्डारण/वितरण से सामान्य यातायात मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
10. परिक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
11. इकाई द्वारा वॉशिग हेतु ई0टी0पी0 की स्थापना की जाऐं एवं इस का संचालन इस प्रकार किया जायें कि निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप हों। उक्त हेतु पेट्रोल पम्प द्वारा आवश्यक अनुमति भी ली जाऐं।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में वेपररिकवरी सिस्टम की स्थापना की जाऐं।

<u>संलग्नकःनील पत्र मूल रूप में।</u>

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160106
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com